1/2

दूरभाष : 0771–2285352, 2285353 (फैक्स)
E-mail : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in

CENSUS OF INDIA 2011

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH
गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर– 492006
GOVIND SARANG PARISAR, THIRD FLOOR, NEW RAJENDRA NAGAR, RAIPUR- 492006

क्रमांक डी–15035/1/2010–डीसीओ(छ.ग.)/2239 दिनांक 24/01/11

पुर्ननिविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर स्थित कार्यालय को जनगणना 2011 के द्वितीय चरण के अनुसूचियों को रखने हेतु लगभग 10,000 कोरूगेटेड बाक्स (आवश्यकतानुसार संख्या में परिवर्तन हो सकता है) क्रय करने के लिये सीलबंद निविदाएं आमंत्रित है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

Capacity	**10.0 Kg**	**No. of Ply**	**5**
External dimension(mm) LxWxH	494X320X150	Edge crush test(kgf/m) minimum	980
Outer ply	180 (gm/m^{2})	Moisture content(%)	7-10
2nd ply	140 (gm/m^{2})	Box joint	Double copper staples
3rd ply	140 (gm/m^{2})	Adhesive	Starch based
4th ply	140 (gm/m^{2})	Angle of staples	45^0
Inner ply	180 (gm/m^{2})	Gap between 2 pair of staples(mm)	25
Type of flute (outer ply)	B	Bursting strength (kg/cm2) minimum	15
Type of flute (inner ply)	C	Cob value (gm/m2) maximum	100

1. **दर प्रदाय**

कोरूगेटेड बॉक्स के लिये बॉक्सों के प्रदाय स्थान के आधार पर दो प्रकार से दर प्रदाय किया जाना होगा ।

अ. जब बॉक्सों को जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, रायपुर में प्रदाय किया जाना हो ।

ब. जब बॉक्सों को छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 18 जिलों के मुख्यालय में स्थित जनगणना शाखा में प्रदाय किया जाना हो ।

दर प्रति बॉक्स के लिये प्रस्तुत किया जावे तथा दर में आवश्यकतानुसार VAT, Sales Tax आदि का भी अलग से उल्लेख किया जावे ।

2 **सामग्री प्रदाय**

जनगणना का कार्य एक राष्ट्रीय कार्य है जिसे निर्धारित समय सीमा में संपादित किया जाना होता है। अतः क्रयादेश जारी करने के 10 दिवस के अंदर क्रयादेश जारी करते समय प्रदत्त सूची के अनुरूप जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 18 जिलों के मुख्यालय में स्थित जनगणना शाखा (जैसी भी स्थिति हो) में प्रदाय किया जाना होगा । **निविदा के साथ रू. 19000/– सुरक्षा राशि** (Earnest Money) संबंधी ड्राफ्ट भी संलग्न किया जाना होगा जो कि **अकाउण्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक द्वारा जारी निदेशक, डी.सी.ओ. छत्तीसगढ, रायपुर'** (Director, D.C.O. Chhattisgarh, Raipur) **के नाम से तथा रायपुर में देय हो ।**

नोट :– ऐसे निविदाकर्त्ता जिनके कोरूगेटेड बॉक्स हेतु पूर्व में जारी निविदा संख्या 1891, दिनांक 14/12/2011 के अनुसार सुरक्षा राशि के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट इस निदेशालय में जमा है, पुनः डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।

3 निविदाकर्त्ता हेतु योग्यताएं एवं आवश्यक दस्तावेज

अ. वित्त वर्ष 2009–10 की अंकेक्षित बैलेंस शीट (Audited Balance Sheets) एवं इसी वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना होगा ।

ब. बिडर (bidder) को व्यापार करने के लिये गवर्नमेंट/म्यूनिसीपल अथारिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए ।

स सेल्स टेक्स/वेट क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट निविदा के साथ जमा किया जाना होगा ।

द निविदा के साथ एक अलग लिफाफे में सामग्री की एक सैम्पल सीलबन्द कर लिफाफे पर फर्म का नाम सहित प्रदाय किया जाना है ।

इ. निविदा के साथ सुरक्षा राशि जमा (Earnest Money Deposit) संबंधी डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना होगा ।

नोट :–बिडर (bidder)केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के किसी कार्यालय द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए ।

4 निविदा जमा/खोलने की तिथि

निविदा जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ में दिनांक 03/02/2011 को सुबह 11.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है । इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा । दिनांक 03/02/2011 को 11.30 बजे कार्यालय के क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जावेगा । निविदा के साथ बिन्दु 3 में उल्लेखित उप बिन्दु 'अ' से 'स' के समर्थन में स्व–सत्यापित दस्तावेज लगाना होगा । इसके अभाव में संबंधित निविदाकर्त्ता का निविदा निरस्त कर दिया जावेगा । **प्रदत्त सैम्पल निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप न होने अथवा क्रय समिति द्वारा आवश्यकतानुरूप सही नहीं पाए जाने की स्थिति में अगले कम दर प्रदायकर्त्ता फर्म के दर पर विचार कर सकती है।** निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्त्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

5 सुरक्षा राशि की वापसी

असफल निविदाकर्त्ताओं की सुरक्षा राशि जमा (Earnest Money Deposit) क्रयादेश अवार्ड करने के 30 दिनों के अंदर वापस कर दी जावेगी । उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

6 **भुगतान :–**

जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 18 जिलों के मुख्यालय में स्थित जनगणना शाखा (जैसी भी स्थिति हो) में प्रदाय किये जाने के उपरांत प्राप्त सामग्रियों की संख्या, गुणवत्ता, आदि से पूर्ण संतुष्टि उपरांत सामग्री प्रदाता द्वारा तीन प्रतियों में प्रस्तुत देयक के आधार पर जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

7 निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद/परिवाद भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर की मध्यस्थता में निपटाए जाएंगे । आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य/बाध्यकारी होगा।

8 निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा ।

(जोस टी. वर्गिस)
उप निदेशक